न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

.....का सूरज.....बनाम.....अशोक आदि

किस्म मुकदमा .....मु.नं. .....65.....वर्ष.....2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पक्षकारों पूर्वादेशानुसार दिनांक 23/12/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	
23/12/25	पत्रावली पेश करें। वकील आम पक्ष आए। इस वाद में प्रार्थी द्वारा अपील दायर प्रस्तुत पत्र पत्र अ० आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 CPC लागिल किया जाकर वाद वापिस अवैध होने से लागिल किया जा चुका है। इसलिए वाद पत्र अ० धारा 212 RTACT में आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अ० धारा 212 RTACT प्रार्थी लागिल किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर वाद कार्यवाही आखिर समाप्त हो। निर्णय आज दिनांक 23/12/25 में लिखे जाने के लिए नियत किया जाता। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	